उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
तुलसी गंगा काम्पलेक्स, 19–सी, विधान सभा मार्ग
लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226001

सूचना/ विज्ञप्ति

पत्र संख्याःपीआरपीबी–अनु–6–प–2/2015(चयनप्रकिया)   दिनांक अक्टूबर १५,2019

आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती–2013 में स्पेशल लीव पिटीशन संख्या 20015/2018 आशीष कुमार यादव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश 24.07.2019 के अनुपालन में अतिरिक्त 226 (महिला/पुरूष) अभ्यर्थियों की दस्तावेजों की संवीक्षा और चिकित्सा परीक्षण दि0 05.10.2019 को रिजर्व पुलिस लाइन लखनऊ में कराये जाने हेतु बोर्ड की बेवसाइट पर विज्ञप्ति /सूचना दिनांक 01.10.2019 को प्रकाशित की गयी थी।

2– आज दिनांक 05.10.2019 को दस्तावेजों की संवीक्षा एवं चिकित्सा परीक्षण हेतु 62 अभ्यर्थीगण (महिला/पुरूष) उपस्थित नहीं हुये है। इन 62 अभ्यर्थियों को पुनः बोर्ड की वेबसाइट पर विज्ञप्ति/ सूचित प्रदर्शित करते हुये सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 16.10.2019 , 17.10.2019 एवं 18.10.2019 को रिजर्व पुलिस लाइन लखनऊ में प्रत्येक दशा में प्रातः 8.00 बजे तक दस्तावेजों की संवीक्षा एवं चिकित्सा परीक्षण हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3– दस्तावेजो की संवीक्षा एवं चिकित्सा परीक्षण की कार्यवाही गठित दल द्वारा किया जायेगा। अनुपस्थित 62 अभ्यर्थियों के नामों की सूची बोर्ड की बेवसाइट– http://uppbpb.gov.in पर उपलब्ध है।

4– अतः बुलाये जा रहे अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे दस्तावेजों की संवीक्षा एवं चिकित्सा परीक्षण हेतु अपने समस्त मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र तथा यदि आरक्षण का दावा करना है तो जाति प्रमाण पत्र सहित पूर्व में की गयी विज्ञप्ति दिनांकित 14.05.2013 एवं 20.06.2013 में दिये गये निर्देशों के अनुसार नियत तिथि , समय व स्थान पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। नियत तिथि को अनुपस्थित होने पर पुनः कोई अन्य अवसर नहीं दिया जायेगा। यह अन्तिम अवसर है।

5– दस्तावेजों की संवीक्षा हेतु अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में अंकित अपनी पात्रता, आरक्षण, अधिमानी अर्हता आदि प्रविष्टियों के मिलान हेतु सभी मूल प्रमाण पत्र एवं जमा करने के लिए इन प्रमाण पत्रों की राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित एक–एक छाया प्रति साथ लेकर आना अनिवार्य है। अभ्यर्थी के सभी सुसंगत अभिलेखों की मूल रूप में जॉच उसी दिन की जायेगी जिस दिन उसे चिकित्सा परीक्षा हेतु बुलाया गया है। जिन अभ्यर्थियों के अभिलेख ठीक पाये जायेगें, वे ही चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होगें।

दिन की जायेगी जिस दिन उसे चिकित्सा परीक्षा हेतु बुलाया गया है। जिन अभ्यर्थियों के अभिलेख ठीक पाये जायेगें, वे ही चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होगें।

6— चिकित्सा परीक्षा के समय प्रयोग हेतु अभ्यर्थी को अपना एक नवीनतम आवक्ष फोटोग्राफ (04 से0मी0X03से0मी0)साथ लेकर आना अनिवार्य है।

7— चिकित्सा परीक्षा में शारीरिक मानक परीक्षण भी सम्मिलित है। शारीरिक मानक परीक्षण एवं चिकित्सा परीक्षण दोंनों में उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थी ही सम्पूर्ण परीक्षण में उपयुक्त होगें। इनमें से किसी एक परीक्षण में अनुपयुक्त अभ्यर्थी सम्पूर्ण परीक्षण में अनुपयुक्त होगे।

8— चिकित्सा परीक्षा केवल अर्हकारी है और श्रेष्ठता सूची पर इसका कोई प्रभाव नहीं पडेगा। इसमें सफल होने का यह अर्थ नहीं होगा कि अभ्यर्थी का चयन हो गया है। अभ्यर्थी का चयन अन्तिम श्रेष्ठता सूची पर निर्भर करेगा।

9— कोई अभ्यर्थी जो अपनी चिकित्सा परीक्षा से असंतुष्ट हो, ठीक परीक्षा के दिन ही अपील दर्ज करा सकता है। अपील दर्ज कराने पर उसका सम्यंक विचारण/निस्तारण किया जायेगा। चिकित्सा परीक्षा के सम्बन्ध में, यदि अभ्यर्थी अपने चिकित्सा परीक्षा और उसके परिणाम की घोषणा के दिन अपील करने में विफल रहता है, तो ऐसी किसी अन्य अपील पर विचार नहीं किया जायेगा।

10— यह सूचना सर्वसाधारण के लिए प्रकाशित की जा रही है। अतः जो सूचनाएं इस सूचना/विज्ञप्ति के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही है, उनके सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम —2005 के अन्तर्गत पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें और न ही उनपर बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जायेगा।

11— **दस्तावेजों की संवीक्षा एवं चिकित्सा परीक्षण की तिथि —16.10.2019, 17.10.2019 एवं दिनांक 18.10.2019 को समय —प्रातः 8.00 बजे से, स्थान— रिजर्व पुलिस लाइन्स, लखनऊ।**

14-X-19

पुलिस अधीक्षक ,भर्ती

उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड

लखनऊ।